बी.एफ.सी
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः एफ. 165 (9)लेखा/बजट/पराविं/2013–14/ 8990-94 जयपुर, दिनांकः– 07.09.2012

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः–आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में।
संदर्भः–वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) का बजट परिपत्र दिनांक 31.08.2012 ।

विषयान्तर्गत संदर्भित बजट परिपत्र के क्रम में लेख है कि विभागीय बजट मद 2515 (आयोजन भिन्न) की बजट निर्णायक समिति (बी.एफ.सी.) की बैठक शीध्र ही होना सम्भावित है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए संशोधित अनुमानों को विचार विमर्श उपरान्त अन्तिम रूप दिया जावेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (**IFMS**) के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए संशोधित अनुमान तैयार किए जाने है। जिस हेतु वित्त विभाग की वैबसाईट **http://ifms.raj.nic.in** है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट–'ख' (प्रति संलग्न) पर है। इस प्रणाली के माध्यम से सभी निर्धारित प्रपत्रों में सूचना/बजट अनुमान उपलबध कराना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित सभी प्रपत्रों की सूचना हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

बजट संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं प्रपत्र वित्त विभाग की वैबसाईट **www.finance.rajasthan.gov.in** पर **Budget circular** में उपलब्ध है।

विभाग द्वारा वित्त विभाग को समेकित सूचनायें उपलब्ध कराई जानी है। अतः जिला परिषद् एवं अधीनस्थ पंचायत समितियों की संकलित पूर्ण एवं सही सूचना (वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सभी प्रपत्रों में) की सूचना दिनांक 24.09.2012 तक जिला परिषद् के लेखाधिकारी/विशेष वाहक के साथ अनिवार्य रूप से इस विभाग को उपलबध करवाना सुनिश्चित करें। पंचायत समितियों की सूचना में प. स. स्टाफ एवं हैण्डपम्प मिस्त्रियों की सूचना अलग–अलग तैयार की जावें। साथ ही प्रपत्र 1 में विभागीय आदेश क्रमांक 2606, व 2610 दिनांक 31.08.2012 से सृजित किये गये पदों की सूचना भी सम्मिलित की जावें।

सूचना के अभाव में वित्त विभाग द्वारा राशि की कटौती करने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इसे अति–आवश्यक समझे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–1. लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद (समस्त) को भेज कर लेख है कि जिले की संकलित पूर्ण एवं सही सूचना मय अधीनस्थ पंचायत समितियों की जांच उपरान्त स्वयं/विशेष वाहक के साथ निर्धारित तिथि तक इस विभाग को हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को भेजकर लेख है कि पंचायत समिति की पूर्ण सूचना लेखाधिकारी जिला परिषद के जांच उपरान्त अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।

7.9.12
मुख्य लेखाधिकारी